

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 535/2011/अलवर  
अपील संख्या – 536/2011/अलवर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त-प्रथम, जयपुर।  
बनाम

.....अपीलार्थी

मैसर्स जय वैष्णव ऑयल मिल,  
खैरथल, अलवर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री क्रान्ति मेहता,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/08/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी-विभाग द्वारा ये दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 22.07.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वृत्त प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 24.03.2009 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25 के तहत निम्नानुसार कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित किये जाने को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलीय अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	विवादित कर	विवादित ब्याज	विवादित शास्ति
1.	535/2011	18/आरवेट/2009-10	2008-09	1,84,642	17,714	3,69,284
2.	536/2011	19/आरवेट/2009-10	2007-08	3,06,123	29,582	6,12,248

2. चूंकि दोनों ही प्रकरणों के तथ्य समान है अतः इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही हैं।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 25.08.2008 को किया जाकर माल का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान लिये गये स्टॉक एवं लेखा-पुस्तकों में घोषित स्टॉक में कुछ अनियमितताएं पाई गईं, जिसके संबंध में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 25, 55 एवं 61 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत किया, प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होकर सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया।

लगातार.....2

सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में कहा कि व्यवसायी की लेखा-पुस्तकों के मुताबिक वक्त सर्वे 16406 टिन घोषित थे, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन करने पर 16083 टिन ही पाये गये, जो कि व्यवहारी द्वारा बिक्री उचन्ती की गई। इसी प्रकार बिनौला सीड से निर्मित माल खल की बिक्री पर आई.टी.सी. स्वीकार्य नहीं है। आगे उन्होंने अपने कथन में कहा कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा कि सशक्त अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान लिया गया व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय के दौरान खराब हुए स्क्रैप टिन रखे थे, जिनका स्टॉक सशक्त अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया, जिससे भौतिक सत्यापन के दौरान अन्तर आया। अपने कथन को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिनौला सीड से तेल का विनिर्माण किया जाता है, इस पर सह उत्पाद के रूप में खल का निर्माण भी हो जाता है, इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अलग से खल का निर्माण नहीं किया जाता है, तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा लगाया गया रिवर्स टैक्स, आरोपित ब्याज व उस पर शास्ति अपास्तनीय है। आगे उन्होंने अपीलीय अधिकारी के निर्णय का समर्थन करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

7. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी की लेखा-पुस्तकों के मुताबिक वक्त सर्वे 16406 टिन घोषित थे, परन्तु सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का भौतिक सत्यापन करने पर 16083 टिन ही पाये गये, जो कि व्यवहारी द्वारा बिक्री उचन्ती की गई। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा घोषित टिन व सशक्त अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण के दौरान टिन में अन्तर पाया गया, उस पर प्रत्यर्थी व्यवसायी द्वारा बताया गया कि खराब/स्क्रैप के रूप में पडे टिन की गणना सशक्त अधिकारी द्वारा नहीं की गई, जो कि प्रत्यर्थी व्यवसायी की बाद की सोच (Afterthought) थी, जो कि स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। इस प्रकार अपीलार्थी विभाग द्वारा इस बिन्दु पर की गई अपीलें स्वीकार की जाती है।

8. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में पंजीकृत व्यवसायों से खरीद किये गये बिनौला सीड से तेल का निर्माण किया जाता है, इनके निर्माण के साथ सहउत्पाद के रूप में "खल" का निर्माण भी हो जाता है। चूंकि "खल" कर मुक्त है इसलिए सशक्त अधिकारी द्वारा "खल" के निर्माण में बिनौला सीड का प्रयुक्त होना मानकर जो रिवर्स टैक्स, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

7. उपराजकीय अभिभाषक ने बताया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अभिनिर्णय में वेत अधिनियम की धारा 18(1)(g) के विशिष्ट प्रावधानों के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित सशक्त अधिकारी द्वारा कच्चे माल गेहूं से निर्मित कर मुक्त माल चौकर की बिक्री की सीमा तक इनपुट टैक्स क्रेडिट अनुज्ञेय नहीं होने से रिवर्स टैक्स आरोपण को विधिसम्मत माना गया है।

अधिनियम की धारा 18(1)(g) निम्न प्रकार से है-

**18. Input Tax Credit :-** (1.) Input tax credit shall be allowed, to registered dealers, other than the dealers covered by sub-section (2) of section 3 or section 5, in respect of purchase of any taxable goods made within the State from a registered dealer to the extent and in such manner as may be prescribed, for the purpose of-

(e) being used as raw material [except those as may be notified by the State Government,] in the manufacture of goods other than exempted goods, for sale within the State or in the course of Inter-state trade or commerce;

however, if the goods purchased are used partly for the purposes specified in this sub-section and partly as otherwise, input tax credit shall be allowed proportionate to the extent they are used for the purposes specified in this sub-section.

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में सशक्त अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से आलौच्य अवधि के दौरान राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों से की गई बिनौला सीड की खरीद पर क्लेम किये गये समग्र इनपुट टैक्स क्रेडिट में से कर मुक्त माल "खल" की बिक्री पर आई.टी.सी. की देयता नहीं मानते हुए इसका रिवर्स टैक्स, ब्याज एवं शास्ति आरोपित किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं की गई है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्तानुसार विभाग द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

मदनलाल मालवीय  
(सदस्य)